UPSR010013742026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 546/2026

1– गोली उर्फ पवन कुमार उम्र 40 वर्ष,

2– बब्बू उम्र 44 वर्ष पुत्रगण शिवकुमार तिवारी निवासी ग्राम नीबा भारी थाना कोतवाली भिनगा जिला श्रावस्ती। ––––––––प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ––––––––––अभियोगी।

सेशन केस सख्या 161/2026
अन्तर्गत धारा 115 (2), 352 भारतीय न्याय संहिता
व धारा 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत

दिनांक 15–07–2026

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 09–07–2026 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण गोली उर्फ पवन कुमार व बब्बू की ओर से आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण गोली उर्फ पवन कुमार व बब्बू की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सेशन केस संख्या 161/2026 अन्तर्गत धारा 15 (2), 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मुकदमा पर तामीला पर्याप्त है व पूर्व में उपस्थित आ चुका है परन्तु आज उपस्थित नहीं है और न ही उसकी तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0 बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में परिवादी द्वारा परिवाद इन कथनों का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति पासी है घटना दिनांक 04–03–2025 समय 5.00 बजे शाम की है प्रार्थी विपक्षीगण के सिवान में नदी के किनारे अपनी खेत में लगी परवल व लौकी की गुड़ाई कर रहा था। विपक्षीगण लाठी डंडा व चाकू से लैस प्रार्थी के पास आये और का कि चलो मेरा खेत बताओ तो प्रार्थी ने कहा कि तुम लोग अपना खेत लेखपाल से पता करो। इसी बात पर कहासुनी होने लगी तभी सभी विपक्षीगण ने एकराय होकर प्रार्थी को मां बहन की भददी भददी जातिसूचक गलियां दी विपक्षी संख्या 1 गोली ने अपने जेब से चाकू निकाल लिया और प्रार्थी के पेट मे लगा दिया और कहा कि पासी साले को जान से मार कर खत्म कर दो। सभी विपक्षीगण ने सरेआम लात मुक्का थप्पड़ व लाठी डन्डों से खेत में घसीट कर मारा जिससे प्रार्थी को चोटें आई। प्रार्थी के लड़के दिनेश कुमार व ओमकार व पड़ोस के पुत्तन आ गये घटना देखी व बीच बचाव कराया। विपक्षीगण ने जान से मारने की धमकी दी।

अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है परिवादी ने राय सलाह लेकर सही तथ्य छिपाकर परिवाद प्रस्तुत किया था मामले मे जमीनी विवाद है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। तदनुसार अभियुक्त ने जमानत की याचना की।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि समय व स्थान पर परिवादी को मारा पीटा गया, गालियां दी तथा जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया गया। दूसरी ओर अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि परिवादी ने तथ्यो को छिपाकर परिवार दायर किया है अभियुक्तगण ने कोई आपराध कारित नहीं किया है। प्रस्तुत ममाला परिवाद पर आधारित है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण को कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण पर आरोपित धाराओं में अधिकतम 07 वर्ष के दण्ड का प्रावधान है। अभियुक्तगण पूर्व में अन्तरिम जमानत पर थे, उन्होने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर

कोई अभिमत व्यक्त किये अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण गोली उर्फ पवन कुमार व बब्बू प्रत्येक द्वारा 50–50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें इन शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है कि वह विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेंगे न धमकी देंगे तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।